न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः–07 / 2016 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2016 / 00024

उनवान

रामचरन पुत्र मुकन्दी जाति खाती निवासी सैंधली तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रमेश पुत्र हरबक्स (फौत)
2. घनश्याम } पुत्रान } रामदयाल } जाति खाती नि0 सैंधली तह0 भुसावर जिला भरतपुर।
3. दिनेश
4. मुकेश
5. श्रीमति सफेदी पत्नी

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर दिनांक 04.02.2016 उनवानी रमेश बनाम रामचरन प्र0स0 04 / 13

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री हेमराज शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री पंकज कुमार उपस्थित।

निर्णय दिनांक :–10.11.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के आदेश दिनांक 04.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी / रैस्पो0 द्वारा मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी / अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम भुसावर तहसील भुसावर में स्थित है जो कि प्रार्थी /

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

रैस्पो0 एवं अप्रार्थी/अपीलाण्ट की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में स्व0 मुकन्दी पुत्र मूली के नाम दर्ज है। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर अप्रार्थी/अपीलाण्ट विरासत का नामांतकरण अपने नाम दर्ज करवाकर रहन, वय, मुन्तकिल करने पर आमदा हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि अपीलाण्ट विवादित आराजी का खातेदार एवं काबिज आराजी है तथा उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। मात्र सजरा के आधार पर एक ही पूर्वज की संतान होने के कारण भूमि संयुक्त परिवार की संपत्ति की तारीफ में नहीं आती है। विवादित भूमि के संयुक्त परिवार की होने का कोई दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं है और ना ही विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति ही साबित है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय को रैस्पो0 के हक में साक्ष्य तैयार करने के लिये मौका रिपोर्ट मंगाने का भी कोई कानूनी अधिकार नहीं है एवं ना ही उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया जा सकता है। राजस्व अभिलेख के समक्ष मौका रिपोर्ट की कोई अहमीयत नहीं होती है। विवादित आराजी अपीलाण्ट के पिता की खातेदारी की आराजी है एवं अपीलाण्ट को विरासत में प्राप्त हुयी है। लिहाजा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में बनती है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की विधिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट है कि सजरानुसार प्रार्थी व अप्रार्थी के पूर्वज एक ही परिवार के हैं एवं अप्रार्थीगण ने सजरा के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके अलावा मौका रिपोर्ट को कहीं भी चैलेन्ज नहीं किया गया है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज ही पेश किया है जिससे विवादित आराजी मुकन्दी की स्वयं पैदाकर्दा आराजी साबित होती हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की जॉच उपरान्त, विवादित आराजी की सुरक्षा हेतु जो

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

आदेश पारित किया है, वह उचित ही है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलाण्ट की यह आपत्ति कि अधीनस्थ न्यायालय को रैस्पो0 के हक में साक्ष्य तैयार करने के लिये मौका रिपोर्ट मंगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तर्क संगत है। परन्तु अपीलाण्ट ने उक्त मौका रिपोर्ट को कहीं भी चैलेन्ज नहीं किया है। चूंकि प्रकरण में मौका रिपोर्ट आ ही गयी है तो उसे नजरअन्दाज करना भी न्यायसंगत नहीं है। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित सजरा बाबत् अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की है। अर्थात सजरा बाबत् उनकी मौन स्वीकृति रही है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी मुकन्दी की स्वःअर्जित सम्पत्ति रही हो। जहॉ तक विवादित आराजी पर कब्जे काश्त का प्रश्न है। नायब तहसीलदार भुसावर की मौका रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी पर दोनों ही पक्षो का कब्जा काश्त बताया गया है। विवादित आराजी बाबत् पक्षकारान के अधिकार, विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त मूल वाद में ही तय हो सकते हैं। परन्तु उपरोक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में ना होकर रैस्पो0 के पक्ष में अधिक सिद्ध होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की विषय वस्तु को सुरक्षित बनाये रखने के लिये उभयपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर के निर्णय दिनांक 04.02.2016 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.11.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर